पत्र संख्या–वन भूमि–10/2019– 2115 व०प०

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

राँची, दिनांक– 13-06-19

विषय :– **मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स लिमिटेड, बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 हे0 में से 14.50 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–307 दिनांक–15.03.2019 एवं पत्रांक–529 दिनांक–15.05.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नकों सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि का वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–F.No-11-6/2014-FC(Pt) दिनांक–08.06.2018 द्वारा अनुमोदित "Management Plan for Sustainable Mining (MPSM) in Saranda and Chaibasa in Singhbhum District, Jharkhand" में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। MPSM में उल्लिखित शर्तों के अनुसार Integrated Wildlife Management Plan, Improvement of Biodiversity, Integrated Catchment Area Treatment एवं Watershed Management तथा अन्य Conservation Plan का परिचालन किया जायेगा, जिसके लिए समानुपातिक राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(iii) स्टेज–1 की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए आवश्यक समतुल्य गैर वनभूमि को विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं 10 वर्षीय वनरोपण की लागत राशि एक मुश्त जमा करनी होगी।

(iv) प्रस्तावित क्षेत्र में Phase wise खनन् कार्य की अनुमति देय होगी, जो कि भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान के अनुरूप हो।

(v) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(vi) सारण्डा वन क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों का क्रमबद्ध तरीके से बन्द किये जाने के उद्देश्य से यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्देश निर्गत किया जाता है तो इसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

(vii) सारण्डा क्षेत्र के लिए तैयार किए जाने वाले समेकित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के अनुपालन हेतु समानुपातिक राशि प्रयोक्ता अभिकरण से वसूलनीय होगी।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 14.50 ha of Forest Land for Braiburu-Tatiba Iron ore Mining in favour of M/S Rameshwar Jute Mills, Limited under Saranda Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 14.50 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no. 2115 ***dated-*** 13.06.19.

Signature: [signature] 13/6/19

Name & Designation: Sunil Kumar
(O.S.D)
Forest, Environment & Climate
Change Department,
Jharkhand Ranchi.
विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi